

I/288790/2023

पत्र संख्या / एफ०टी०. 48-5359 / 2021(एफ०सी०ए०)
वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

प्रेषक: नोडल आफिसर एवं अति० प्र० मुख्य
अरण्यपाल (एफ०सी०ए०)हि०प्र०।

प्रेषित: उप महा निरिक्षक, वन
उप कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तरीय),
सी०जी०ओ० काम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लौगबुड़,
शिमला, हिमाचल प्रदेश-1710001

दिनांक शिमला-1

विषय: **Diversion of 2.4589 hectare of forest land in favour of National Highway Authority of India, in village Kathali from RD 127/450 to 128/250 for four laning of Solan Kaithlight Section of NH-22 (Now NH-05) from Kms. 106.139 to Km 129.05, within the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla, H.P. (Online Proposal No. FP/HP/Road/ 120302/2021).**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर File No.FC/HPB/06/13/2022 दिनांक 15/09/2022 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:-

1^ए वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

2^ए परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

3^ए **प्रतिपुरक वनीकरण:**

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर सी०ए० के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर प्रतिपुरक पौध-रोपण किया जाएगा। इसकी लागत राशि कैम्पा में जमा कर ली गई है। जहां व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वेदशी प्रजातियों को लगाया जाएगा। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख) वन मण्डलअधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

(ग) वन मण्डलअधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

(घ)प्रतिपुरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपुरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमाकंन व स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप में जमा करा दी गई है। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

4^ए **शुद्ध वर्तमान मूल्य:**

क) भारत के माननीय उच्चतम् न्यायालय के दिशा निर्देशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की राशि Adhoc CAMPA में जमा करवा दिया गया है। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

I/288790/2023

(ख) शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न कर दी गई है।

- 5^ए The KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area will be uploaded in E-green watch portal before the final approval. Undertaking in this regard, is uploaded with the compliance report of Stage-I approval by the user agency.
- 6^ए FRA certificate is uploaded with the compliance report of user agency concerned.
- 7^ए In this regard, joint inspection report has been submitted by the user agency.
- 8^ए Same as above at point No. 7.
- 9^ए It has been stated by the user agency that KML file as desired is uploaded on the web portal.
- 10^ए The user agency has uploaded undertaking in this regard with the compliance report.
- 11^ए Hon'ble High Court of Himachal Pradesh on 06.07.2023 during hearing on CWP 5537 of 2020, titled as NHAI vs State of HP and Ors has directed CALA to assess the amount of compensation for passing of an award to this effect within a period eight weeks from today. However, the entitlement of the claim shall abide by the decree of the Civil Court and therefore, the amount shall not be realized unless the rights of the parties are finally determined. Copy or order has been uploaded with the compliance report of user agency.
- 12^ए एफ०आर०ए० का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
- 13^ए एण्ऱज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में एफ०सी०ए के तहत वन भूमि के प्रत्यापर्ण पर लगाई गई रोक को आदेश दिनांक 08.02.2023 द्वारा हटा दिया गया है। परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि नेशनल पार्क तथा वाईलड लाईफ सेन्चुरी वन भूमि पर यह ओदश लागू नहीं होगा।
- 14^ए प्रयोक्ता अभिकरण आई आर० सी० मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
- 15^ए संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियम साइनेज लगाए जाएंगे।
- 16^ए प्रस्ताव के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण प्रस्तावित वन भूमि पर 1155 (including 978 saplings) पेड़ों का कटान किया जाएगा। वचन बद्धता upload कर ली गई है।
- 17^ए इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
- 18^ए आस-पास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण ने इसके लिए सहमती जताई है।
- 19^ए परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पॉटल के माध्यम से क्षतिपुरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड से जमा किया गया है। प्रयोक्ता ऐजेंसी ने इस प्रस्ताव से सम्बन्धित प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण (Compensatory Afforestation) की राशी 1193097/- रु०, शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) की राशी 3178989/- रु०, जो कुल 4372086/- रु० बनती है, प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण

I/288790/2023

- (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में जमा की है। Proforma की प्रतिलिपि आगामि कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 20^ए इस प्रस्ताव के लिए पर्यावरण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
- 21^ए केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त Layout Plan नहीं बदला जायेगा जिसकी बचन बद्धता की प्रति साथ संलग्न है।
- 22^ए वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा, जिसकी बचन बद्धता संलग्न है।
- 23^ए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्तावना के निर्माण के लिए मजदुर नियुक्त किए जाएंगे उन्हें वन विभाग अथवा वन विकास निगम द्वारा वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा।
- 24^ए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर पिलर्स द्वारा सीमाकन किया जाएगा। बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।
- 25^ए बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।
- 26^ए वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु उपोग नहीं किया जाएगा।
- 27^ए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हंस्तातरित नहीं किया जायेगी। इससे सम्बन्धित वचन बद्धता की प्रति संलग्न है।
- 28^ए इनमें से किसी भी शर्त का या वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तो भारत सरकार के पत्र संख्या 11-42 / 2017-एफ०सी० दिनांक 29.01.2018 के अनुसार की गई कार्यावाही मान्य है।
- 29^ए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण के एवं विकास के लिए समय-समय पर निर्धारितशर्त मान्य होगी।
- 30^ए इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
- 31^ए यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि जो इस प्रस्ताव में लागु होते हो तो उनके अधिन जरुरी अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी।
- 32^ए अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड की दी गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

नोडल ऑफिसर एवं अंति० प्र० मुख्य
अरण्यपाल (एफ०सी०ए०)हिं०प्र०